तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त[illegible] अहकाम ज[illegible] हुक्म की त[illegible] में जारी[illegible]
11-5-17	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय ... पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त ... हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-6-17 को ~~पेश हो~~ कैम्प बाढकलां पर पेश हो। रीडर	2103-2105
8-6-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बाढकलां पर पेश हुई। वादी इकरामुद्दीन उपस्थित है। वादी के बयान लिए गए। वादी का दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (बाबूलाल जाट) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

तक

मु[illegible]
12[illegible]
इ[illegible]

1.
2.
3.

उप[illegible]

किय[illegible] 0.10[illegible] ख0न[illegible] रकब[illegible] प्रतिव[illegible] भूमि[illegible] 120 [illegible] नाता[illegible] कर [illegible] चला[illegible] प्रतिवा[illegible] बदलने[illegible] उक्त[illegible] को वि[illegible] खातेदा[illegible] उक्त [illegible] अन्य [illegible] लगायत[illegible] छोडो न[illegible] की खाते[illegible] कर निर्द[illegible] जाकर प्र[illegible] की खाते[illegible] 1.88 हैक[illegible] व्यवधान[illegible]

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
121/2015	15.10.2015	8.6.2017

इकरामुद्दीन पुत्र नवीबक्स, मुसलमान नि0बाढकलां तह0गंगापुरसिटी ——वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र मूल्या, चमार निवासी बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी
2. बिरजू पुत्र मूल्या, चमार निवासी बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी
3. कल्लू पुत्र परभाती, चमार नि0 बाढखुर्द तह0 गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री इकरामुद्दीन, वादी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी इकरामुद्दीन ने इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 31 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0नं0 32 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 33 रकबा 0.66 हैक्टर, ख0नं0 34 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 35 रकबा 0.29 हैक्टर, ख0नं0 36 रकबा 0.31 हैक्टर कुल रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम बाढखुर्द में स्थित है जिससे प्रतिवादीगण या अन्य व्यक्तियों का कोई वास्ता नहीं है। वादी की खातेदारी भूमि के पास ही प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 29, 30 व 120 स्थित है। प्रतिवादी सं0 3 के पिता परभाती व प्रतिवादी सं0 1, 2 की माता श्रीमती हीरा ने जरिए विक्रय पत्र दिनांक 29.7.95 को वादी को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तभी से उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ही उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है परन्तु खातेदारी नहीं बदलने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है एवं वे जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। इस भूमि को विक्रय किए हुए बीसों साल हो चुके हैं। भूमि से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं इसके बाद भी प्रतिवादीगण आये दिन उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं। दिनांक 11.10.2015 को 5—7 अन्य व्यक्तियों को लेकर प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि ख0नं0 31 लगायत 36 पर आकर एलानिया धमकी देने लगे कि या तो हमारी जमीन छोडो नहीं तो हम तुम्हारी खातेदारी की जमीन पर कब्जा करेंगे जबकि वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 31 लगायत 36 कुल रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम बाढखुर्द के कब्जे काश्त में वादी को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करवायें एवं इसी प्रकार वादी को बेदखल नहीं करें व न ही कब्जा करें न ही अन्य से करावें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

दिनांक 30.10.15 को प्रतिवादीगण की ओर से श्री सत्यभान सिंह, एड0 ने वकालतनामा पेश किया व जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं दिनांक 8.9.2016 को प्रतिवादीगण के वकील एवं स्वयं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 प्रदर्श–1 पेश की है एवं स्वयं के बयान कराए हैं। इसके अलावा वादी ने फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस , फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 29.7.95 भी पेश किए हैं।

पत्रावली दिनांक 8.6.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बाढकलां पर पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित हुआ। वादी के बयान लिए गए एवं वादी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि ख0नं0 31 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0नं0 32 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 33 रकबा 0.66 हैक्टर, ख0नं0 34 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 35 रकबा 0.29 हैक्टर, ख0नं0 36 रकबा 0.31 हैक्टर कुल रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम बाढखुर्द वादी की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी में दर्ज भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है फलस्वरूप वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 31 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0नं0 32 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 33 रकबा 0.66 हैक्टर, ख0नं0 34 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 35 रकबा 0.29 हैक्टर, ख0नं0 36 रकबा 0.31 हैक्टर कुल रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम बाढखुर्द के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2017 को राजस्व लोक अदालत शिविर बाढकलां में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

इकरानुद्दीन पुत्र नवीबक्स, मुसलमान नि0बाढकलां तह0गंगापुरसिटी ––वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र मूल्या, चमार निवासी बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी
2. बिरजू पुत्र मूल्या, चमार निवासी बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी
3. बल्लू पुत्र परभाती, चमार नि0 बाढखुर्द तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 121/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इकरानुद्दीन मिनजानिब मुद्दई –– मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 31 रकबा 0.10 हैक्टर, ख0नं0 32 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 33 रकबा 0.66 हैक्टर, ख0नं0 34 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 35 रकबा 0.29 हैक्टर, ख0नं0 36 रकबा 0.31 हैक्टर कुल रकबा 1.88 हैक्टर ग्राम बाढखुर्द के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.6.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		